"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जनवरी 2013—माघ 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2012/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

मुख्य शीर्षक "उन्तीस-खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के अंतर्गत, भाग (ई) शीर्षक में सरल क्रमांक 3 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 1-3/2012/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2012/1/एक, दिनांक 30-01-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 30th January 2013

NOTIFICATION

No. F 1-3/2012/1/One.—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, is pleased to make the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In Schedule of the said rules,—

Under the main heading "XXIX-Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department," in part (C) for the entries relating to serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

"Controller, Legal Metrology."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.